न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 68/2025(GCMS 2025/342)
(RTI No. 212827345887354)

सिमरजीत कौर C/o श्री हरप्रीत सिंह निवासी एस 11/271, आई.टी.आई. कॉलेज के पीछे, नजदीक पीर बाबा, धाकी, पठानकोट, पंजाब पिन–145001 (मोबाईल नम्बर : 78915–34606)

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.10.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सिमरजीत कौर स्वयं उपस्थित नहीं हुई। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.07.2025 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि सिमरजीत कौर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.07.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. Which authority is legally empowered to issue an income certificate (Aay Praman Patra) in Suratgarh, District Ganganagar, Rajasthan?
   a. Kindly provide the designation (eg. Tehsildar, Naib Tehsildar, etc.) and a copy/reference of the government notification or order that specifies this authority under the Rajasthan Government Revenue rules
2. Is a notarized income certificate valid for government service purposes under the Rajasthan State Revenue or Administrative law?
   a. If yes, please provide the legal basis, government order, or notification authorizing the use of notarized income certificates.
   b. If not valid, please provide the law, rule, or official order under which a notarized income certificate is considered insufficient or unauthorized for such purposes
3. Is there any power delegation or legal provision under which a Notary Public is allowed to issue income or dependency certificates in Rajasthan?
   a. If such a provision exists, please provide the relevant copy or order sued by the Rajasthan Government of Revenue Department

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसी[illegible]गढ़ ने अपने पत्रांक राजस्व/सूचना का अधिकार अधि.पत्रा./2025/1507 दिनांक 24.10.2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:37:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 68 / 2025
(GCMS No. 2025/342)
(RTI No. : 212827345887354)

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा इस कार्यालय में ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रमांक 212439766588881 दिनांक 21.07.2025 द्वारा 3 बिन्दुओं (उपबिन्दु सहित) के सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना चाही गई थी। जिसके सन्दर्भ में प्रार्थीया को इस कार्यालय के पत्रांक 1197 दिनांक 13.08.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा जरिये डाक एवं प्रार्थीया के प्रा.पत्र के अंकित पते पर मेल से सूचित कर दिया गया था। उक्त पत्र के साथ प्रार्थीया द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई जानकारी के संबन्ध में राजस्थान राज्य में आय प्रमाण पत्र जारी के संबन्ध में चाही गई सूचना के संदर्भ में, राजस्व(ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 09.08.2012 व राजस्व मण्डल, अजमेर राजस्थान के पत्र दिनांक 08.05.2018 की चित्रप्रति संलग्न कर प्रेषित कर दी गई थी। शेष बिन्दु प्रश्नात्मक होने से, नियमानुसार सूचना देय नहीं होने से तद्नुसार सूचित करते हुए प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र का निस्तारण/विनिश्चिय कर दिया गया है और प्रार्थीया को सूचित किया जा चुका है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च) अनुसार लोक प्राधिकरण द्वारा वही सूचना दी जा सकती है जो दस्तावेज, फ्लॉपी, सीडी अथवा अन्य रूप में संग्रहित है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 10.07.2008 अनुसार काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अथवा प्रश्न पूछना सूचना का अधिकार के दायरे में नहीं आता है। सूचना जिस रूप में संधारित है उसी रूप में दी जा सकती है। खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर सूचना देय नहीं है। डॉ. सेल्सा पिन्टो बनाम लोक सूचना अधिकारी में मा. गोवा उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार सूचना सृजित करके नहीं दी जा सकती। पूर्ण विशिष्टियां आवश्यक है।

अतः अपील अपीलोत्तर प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत वांछित जानकारी/सूचना के संदर्भ में प्रार्थीया को राज्य सरकार के परिपत्रों की नियमानुसार छायाप्रतियां उपलब्ध करा दी गई है एवं शेष [illegible] सूचना प्रश्नात्मक होने से देय नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीया [illegible] नियमानुसार निस्तारण किया जा चुका है इसलिए उक्तानुसार विवेचन के आधार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज [illegible] होने से खारिज फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:37:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 68 / 2025
(GCMS No. 2025/342)
(RTI No. : 212827345887354)

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सूरतगढ़ ने अपीलार्थी को अपने पत्रांक 1197 दिनांक 13.08.2025 से जवाब दिया जा चुका है तथा अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **तहसीलदार, सूरतगढ़** द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य हैं

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सहायक **लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार(राजस्व), सूरतगढ़** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाख़िल दफ़्तर [illegible]

यह आदेश आज दिनांक [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:37:44 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर